



राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 9, गुरुवार, शाके 1932—अप्रैल 29, 2010
Vaisakha 9, Thursday, Saka 1932—April 29, 2010

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप—2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 29, 2010

संख्या प. 2 (1) विधि/2/2010:—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 14)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को प्राप्त हुई]

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 2 का संशोधन.—राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 8) की धारा 2 के खण्ड (xxii) में विद्यमान अभिव्यक्ति “नगर योजना” के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति “कम्प्यूटर उपयोजन” के पूर्व आयी हुई विद्यमान अभिव्यक्ति “फार्मसी,” हटायी जायेगी।

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, April 29, 2010

No. F. 2 (1) Vidhi/2/2010.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Takaneekee Vishvavidhyalaya (Sanshodhan) 2010 (2010 Ka Adhiniyam Sankhyank 14) :—

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY
(AMENDMENT) ACT, 2010**

(Act No. 14 of 2010)

[Received the assent of the Governor on the 28th day of April, 2010]

An

Act

to amend the Rajasthan Technical University Act, 2006.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Technical University (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 8 of 2006.—In clause (xxii) of section 2 of the Rajasthan Technical University Act, 2006 (Act No. 8 of 2006), the existing expression "Pharmacy", occurring after the existing expression "Town Planning" and before the existing expression "Computer applications", shall be deleted.

एस. एस. कोठारी,

Principal Secretary to the Government.